रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236388
CG-DL-E-08062022-236388

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
No. 401] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 422(अ).—अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 का प्रारूप अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार, पत्तन, जलयान परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 142(अ) तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 22 फरवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात सा.का.नि. 316(अ) तारीख 26 अप्रैल, 2022 द्वारा उपांतरित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 22 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उप-धारा (2) के खंड (य) से (यछ) के साथ पठित,धारा 34 की उप-धारा (1), धारा 35, धारा 36 की उप-धारा (1), धारा 37 की उप-धारा (3), धारा 38 की उप-धारा (1) और (4), धारा 39, धारा 41 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"**अधिनियम**"** से अंतर्देशीय जलयान (अधिनियम), 2021 (2021 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "जोन" से ऐसा अंतर्देशीय जल क्षेत्र अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार इन नियमों के लिए निम्नलिखित अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई मानदण्ड पर निर्भर करते हुए, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के रूप में अधिसूचना द्वारा घोषित करे:

(i) जोन 1 से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं है;

(ii) जोन 2 से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है; और

(iii) जोन 3 से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं है।

(ग) किसी जलयान का सकल टनभार अंतर्राष्ट्रीय टनभार अभिसमय 1969 के अनुसार परिकलित सकल टनभार है।

(घ) इंजनों की कुल शक्ति किलोवाट प्रोपल्शन इंजनों की कुल शक्ति है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं,किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमश: अधिनियम में अभिहीत किया गया है।

3. अंतर्देशीय जलयान.– इन नियमों के प्रयोजन के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) जो अंतर्देशीय जलयान श्रेणी क में आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के डेकनुमा जलयान होंगे:

(क) कार्गो जलयान जो लम्बाई में 24 मीटर से अधिक हैं;

(ख) यात्री जलयान अथवा रो-रो यात्री फेरी जो 50 यात्री से अधिक यात्री ले जाते हैं;

(ग) खींच कर ले जाने के लिए सज्जित सभी जलयान, जिनकी बोलार्ड पुल क्षमता 10 टन से अधिक है;

(घ) कार्गो के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन अथवा तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए जलयान;

(ड.) खतरनाक माल वहन करने वाले जलयान:

(च) सकल 300 टन और उससे अधिक के जलयान ।

(2) श्रेणी 'ख' के जलयान श्रेणी क अथवा श्रेणी ग से भिन्न हैं।

(3) श्रेणी 'ग' जलयान लंबाई में 10 मीटर से कम हैं।

4. न्यूनतम चालक दल.— (1) प्रत्येक अन्तर्देशीय जलयान में उप नियम (3) के अधीन यथा निर्धारित ऑन-बोर्ड पर न्यूनतम चालक दल होगी।

(2) प्रत्येक अन्तर्देशीय जलयान पर लागू न्यूनतम चालक दल को सर्वेक्षणकर्ता द्वारा सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र में, यथास्थिति, जलयान के प्रकार और आकार, इसके प्रचालन क्षेत्र, इंजन क्षमता और ऐसे अन्य कारकों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, दर्ज की जाएगी, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक स्व-चालित अन्तर्देशीय जलयान में प्रचालनाधीन होने पर बोर्ड पर न्यूनतम निम्नलिखित चालक दल होगा:

	डेक चालक दल		
श्रेणी क	जीटी <500	500 ≤ जीटी <1600	जीटी ≥1600
	क) एक मास्टर अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी3 या	5.) एक मास्टर जिसके पास अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 का	(क) एक मास्टर जिसके पास अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी1

	सेरांग प्रमाणपत्र के साथ	प्रमाणपत्र हो।	प्रमाणपत्र हो। (ख) अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी2 प्रमाणपत्र के साथ एक मुख्य अधिकारी अथवा अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी 3 के प्रमाणपत्र के साथ एक मास्टर और जलयान पर मास्टर श्रेणी 3 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव >500 जीटी।
	इंजन चालक दल		
	किलोवाट <425 प्रणोदन शक्ति	प्रणोदन शक्ति: 42≤ किलोवाट <750	किलोवाट ≥ 750 प्रणोदन शक्ति
	(क) इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक इंजीनियर	क) अन्तर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र के साथ एक इंजीनियर	क) अन्तर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता। ख) अन्तर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाणपत्र के साथ एक सैकेंड इंजीनियर या 2 वर्ष के अनुभव के साथ अन्तर्देशीय इंजन चालक वर्ग 2 प्रमाणपत्र।
	रेटिंग		
	जीटी <500 और किलोवाट<425	जीटी ≥ 500 या किलोवाट ≥ 425	
	क) डेक हैंड्स, इंजन हैंड्स और कुकिंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए तीन 'जनरल पर्पस रेटिंग'	क) डेक हैंड्स, इंजन हैंड्स और कुकिंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए चार 'जनरल पर्पस रेटिंग'	
श्रेणी ख	डेक चालक दल		
	जीटी <500	500 ≤ जीटी <1600	जीटी ≥ 1600
	क) एक मास्टर अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी 3 या 'सेरांग' प्रमाण पत्र के साथ	ख) एक मास्टर के साथ अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र	क) एक मास्टर सहित अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र ख) अन्तर्देशीय मास्टर श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अधिकारी
	इंजन चालक दल		
	किलोवाट <425 प्रणोदन शक्ति	प्रणोदन शक्ति: 425 ≤ किलोवाट <750	किलोवाट ≥ 750 प्रणोदन शक्ति
	क) अन्तर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक इंजीनियर	ख) अन्तर्देशीय इंजन चालक श्रेणी1 प्रमाणपत्र वाला एक इंजीनियर	क) अन्तर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता अथवा अन्तर्देशीय

<table>
<tr><td></td><td></td><td>[या अन्तर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक इंजीनियर, जलयान पर इंजन चालक वर्ग 2 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव <425 किलोवाट]</td><td>इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता इंजन चालक श्रेणी 1 के रूप में ≥ 750 किलोवाट के साथ जलयान पर 2 वर्ष के अनुभव सहित
ख) अन्तर्देशीय इंजन चालक वर्ग 2 प्रमाणपत्र के साथ एक सैकेंड इंजीनियर अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ एक अन्तर्देशीय इंजन चालक वर्ग 2।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">रेटिंग</td></tr>
<tr><td></td><td>जीटी <500</td><td>जीटी ≥ 500</td></tr>
<tr><td></td><td>क) डेक हैंड्स, इंजन हैंड्स और कुकिंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए दो 'साधारण प्रयोजन रेटिंग'</td><td>डेक हैंड्स, इंजन हैंड्स और कुकिंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए तीन ' साधारण प्रयोजन रेटिंग'</td></tr>
<tr><td colspan="3">श्रेणी ग: अभिहीत प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम चालक दल विनिश्चित की जाएगी।</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पण 1: सेरंग, इंजन चालक श्रेणी 2 और जीपी रेटिंग के मामले में नियमों के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पण 2: नामित प्राधिकारी को स्वीकार्य के रूप में, साधारण प्रयोजन रेटिंग की संख्या 500 जीटी से कम के जहाजों के लिए 1 घंटे से कम की छोटी अवधि की यात्राओं पर कम की जा सकती है।</td></tr>
</table>

(4) अधिनियम की धारा 3 (म) (ii) में परिभाषित, 15 मीटर से कम लंबाई के प्रत्येक गैर-यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान को न्यूनतम एक सामान्यप्रयोजन रेटिंग द्वारा संचालित किया जाएगा और 15 मीटर या उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक गैर-स्व-चालित जलयान को न्यूनतम दो सामान्यप्रयोजन रेटिंग द्वारा संचालित किया जाएगा।

(5) 425 किलोवाट से अनधिक कुल प्रणोदन शक्ति के किसी भी यांत्रिक अन्तर्देशीय जलयान को माना जाएगा कि उसने मास्टर और इंजीनियर की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, बशर्ते कि इस तरह के जलयान में, उसके मास्टर और इंजीनियर के रूप में, एक व्यक्ति हो, जिसके पास उपयुक्त श्रेणी के दोनों प्रमाण पत्र हों।

(6) अभिहीत प्राधिकारी उपर्युक्त उप-नियम (3) में विहित उच्च आदेश की न्यूनतम चालक दल निर्दिष्ट कर सकता है यदि अन्य कारक जैसे कि जलयान के व्यापार के स्वरूप, यात्रा के दिनों की संख्या के लिए जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अन्तर्देशीय जलमार्गों की सुरक्षा के हित में ऐसे अतिरिक्त चालक दल की आवश्यकता होती है।

5. परीक्षकों की नियुक्ति तथा परीक्षा केन्द्रों को स्थापना.— (1) अधिनियम की धारा 36 के अधीन, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य परीक्षक, सक्षमता के ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की परीक्षा लेने और उन्हें सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य परीक्षक को संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परीक्षकों की उपयुक्त संख्या द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर लागू परीक्षा केन्द्रों, मानदण्डों और मानकों की सूची और परीक्षाओं या मूल्यांकनों के आयोजन को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) प्रत्येक परीक्षा केंद्रीय, स्थानीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के लिए अपने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगा, परीक्षा की पर्याप्त आवृत्ति सुनिश्चित करेगा जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन करने की तारीख से परीक्षा में बैठने के लिए छह माह से अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े।

(5) किसी भी व्यक्ति को मुख्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सक्षमता और अनुभव संबंधी निम्नलिखित अपेक्षाओं में से किसी एक को पूरा नहीं करता है:

(क) महानिदेशक जलयान परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मास्टर (विदेश जाना) अथवा समुद्री इंजन प्रचालक (एमईओ) श्रेणी-I सक्षमता का एक प्रमाण पत्र जिसके पास जलयान या राज्य समुद्री बोर्डों या महानिदेशक जलयान परिवहन या पत्तनों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 8 वर्षों के अनुभव हो;

(ख) महानिदेशक जलयान परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मास्टर (विदेश जाना) अथवा समुद्री इंजन प्रचालक (एमईओ) श्रेणी-II सक्षमता का एक प्रमाण पत्र जिसके पास जलयान या राज्य समुद्री बोर्डों या महानिदेशक जलयान परिवहन या पत्तनों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 10 वर्षों के अनुभव हो;

(ग) सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (एसएससी) और उससे अधिक की शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ एक अन्तर्देशीय जलयान मास्टर वर्ग-I अथवा अन्तर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्तर्देशीय पोतों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 20 वर्षों की सेवा की हो, जिनमें से कम से कम 5 वर्ष एक मास्टर या मुख्य इंजीनियर की क्षमता में होने चाहिए।

(घ) कम से कम 20 वर्षों के नौकायन अनुभव के साथ एक मास्टर [तटीय जल यात्रा जलयान (एनसीवी)] अथवा समुद्री इंजन प्रचालक (एमईओ) श्रेणी III (तटीय जल यात्रा जलयान-मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाण पत्र धारक हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष मास्टर या मुख्य अभियंता की क्षमता में होने चाहिए।

(ङ) उपर्युक्त (क), (ख) (ग) अथवा (घ) में उल्लिखित अर्हता धारक हो और किसी संस्थान या विभाग में संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त होया या सक्षम प्राधिकारी या महानिदेशक जलयान परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा अनुमोदित हो।

स्पष्टीकरण: संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव के कार्यकाल को इस उप नियम के खंड (क), (ख) (ग) और (घ) के अधीन अपेक्षित शिपबोर्ड या अन्तर्देशीय जलयान अनुभव की लिए गिना जा सकता है।

(6) एक मुख्य परीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(क) राज्य में सक्षमता प्रमाण-पत्र के विभिन्न ग्रेडों के लिए परीक्षाओं के समग्र आयोजन का पर्यवेक्षण करना।

(ख) सक्षमता प्रमाण-पत्रों के विभिन्न ग्रेडों को समग्र रूप से जारी करने का पर्यवेक्षण करना; और

(ग) राज्य में सक्षमता प्रमाण-पत्र के विभिन्न ग्रेडों के लिए परीक्षा की आवृत्ति और अनुसूची निर्धारित करना।

(7) किसी भी व्यक्ति को एक परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अहर्ता और अनुभव की निम्नलिखित अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा को पूरा नहीं करता है:

(क) जलयान परिवहन मंत्रालय महानिदेशक द्वारा जारी किए गए ट्रांसपोर्ट मास्टर (विदेश जाना) या समुद्री इंजन प्रचालक (एमईओ) श्रेणी I सक्षमता के एक प्रमाण पत्र धारक हो तथा जलयान या राज्य समुद्री बोर्डों या महानिदेशक पोत परिवहन या बंदरगाहों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो;

(ख) जलयान परिवहन मंत्रालय महानिदेशक द्वारा जारी किए गए ट्रांसपोर्ट मास्टर (विदेश जाना) या समुद्री इंजन प्रचालक (एमईओ) श्रेणी II सक्षमता के एक प्रमाण पत्र धारक हो तथा जलयान या राज्य समुद्री बोर्डों या महानिदेशक पोत परिवहन या बंदरगाहों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो;

(ग) सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (एसएससी) और उससे अधिक की शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ एक 'अन्तर्देशीय जलयान मास्टर श्रेणी-I' अथवा 'अन्तर्देशीय इंजीनियर' प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्तर्देशीय पोतों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 15 वर्षों की सेवा की हो, जिनमें से कम से कम 5 वर्ष एक मास्टर या मुख्य इंजीनियर की क्षमता में होने चाहिए।

(घ) कम से कम 15 वर्षों के नौकायन अनुभव के साथ एक मास्टर (एनसीवी) अथवा समुद्री इंजन प्रचालक (एमईओ) श्रेणी III (तटीय जल यात्रा जलयान-मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाण पत्र धारक हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष मास्टर या मुख्य अभियंता की क्षमता में होने चाहिए।

(ङ) उपर्युक्त (क), (ख) (ग) अथवा (घ) में उल्लिखित अर्हता धारक हो और किसी संस्थान या विभाग में संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त होया या सक्षम प्राधिकारी या महानिदेशक जलयान परिवहन या वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा अनुमोदित हो।

स्पष्टीकरण: संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव के कार्यकाल को इस उप नियम के खंड (क), (ख) (ग) और (घ) के अधीन अपेक्षित जलयान बोर्ड या अन्तर्देशीय जलयान अनुभव की लिए गिना जा सकता है।

(8) एक परीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात:-

(क) किसी परीक्षा केन्द्र पर सक्षमता प्रमाण-पत्र के विभिन्न ग्रेडों के लिए परीक्षाओं का आयोजन तथा उनका पर्यवेक्षण करना।

(ख) सक्षमता प्रमाण-पत्रों के विभिन्न ग्रेडों को जारी करना।

(ग) उन व्यक्तियों का मूल्यांकन करना जो परीक्षाओं में बैठे और जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और सफल अभ्यर्थियों की सूची मुख्य परीक्षक को भेजना।

(घ) मुख्य परीक्षक को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता करना।

(9) इस नियम और अधिनियम की धारा 37 (1) के प्रयोजन के लिए, संबंधित राज्य सरकारें, परीक्षकों द्वारा मुख्य परीक्षक को उपलब्ध कराई की गई रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकती है।

6. सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जाना.— (1) किसी भी अभ्यर्थी को इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति, वह न्यूनतम अंक या कुल अंक, प्राप्त नहीं करता है; जिन्हें सफल अभ्यर्थियों घोषित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांक के रूप में निर्णय लिया जाता है।

(2) सक्षमता प्रमाण पत्र के प्रत्येक ग्रेड के लिए परीक्षा में एक लिखित और मौखिक परीक्षा सम्मिलित होगी; जो परीक्षा के प्रत्येक ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के रूप में विनिश्चय किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) इन नियमों के अधीन जारी 'सेवा प्रमाण पत्र' जारी करने पर लागू नहीं किया जाएगा।

(4) निम्नलिखित ग्रेड के लिए 'सक्षमता प्रमाण पत्र' जारी किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) डेक विभाग-

(i) मास्टर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र

(ii) मास्टर श्रेणी 2

(iii) मास्टर श्रेणी 3 या 'सेरंग' प्रमाण पत्र

(ख) इंजन विभाग-

(i) अन्तर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र

(ii) इंजन चालक श्रेणी 1

(iii) इंजन चालक श्रेणी 2 प्रमाण पत्र

7. मास्टर और डेक विभाग.— (1) अन्तर्देशीय जलयान मास्टर वर्ग 1, मास्टर वर्ग 2 और मास्टर वर्ग 3 या 'सेरंग' के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, परीक्षक द्वारा संबंधित राज्य सरकार में ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी तारीखयों पर आयोजित की जाएगी जो परीक्षा केंद्रीय द्वारा प्रकाशित की जा सकती हैं।

(2) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन को इन नियमों में संलग्न प्ररूप 3 के साथ-साथ उनमें उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित भर कर प्रस्तुत किया जाएगा, और ऐसे आवेदन के साथ-साथ आवश्यक सहायक दस्तावेजों को नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 13, नियम 14 और नियम 15 में यथा विस्तृत, अभ्यर्थी की पात्रता का पता लगाने के लिए अपेक्षित हैं; जिन्हें परीक्षा केंद्रीय पर निर्धारित तारीख के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा,यथास्थिति, जैसा कि संबंधित परीक्षा केंद्रों या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।

(3) एक जलयान के मास्टर के सामान्य उत्तरदायित्वों और प्राधिकार को अनुसूची में दर्शाया गया है।

8. अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-1 प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं— (1) मास्टर श्रेणी-1 प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) इन नियमों के अधीन जारी अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर वर्ग 2 के रूप में सक्षमता का एक वैध प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(ख) द्वितीय श्रेणी मास्टर के बाद 3 वर्षों की न्यूनतम ऑनबोर्ड सेवा की हो, जिसमें से एक वर्ष, कम से कम 500 जीटी के जलयान में 12 माह के लिए द्वितीय श्रेणी मास्टर (जलयान के प्रभारी) के रूप में कार्य किया हो।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकारी स्वास्थ्य केंद्रीय के चिकित्सा अधिकारी या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा प्ररूप संख्या 1 में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(घ) मास्टर श्रेणी 1 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; और मास्टर श्रेणी 1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार होगी, और समय-समय पर दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, अर्थात्:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

और

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिदष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

9. अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.—

(1) मास्टर श्रेणी-2 प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) इन नियमों के अधीन जारी मास्टर वर्ग 3 के रूप में सक्षमता का एक वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(ख) 36 माह की न्यूनतम सेवा की हो जिसमें से 12 माह सेरांग के रूप में होनी चाहिए।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत प्राधिकारी पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकारी स्वास्थ्य केंद्रीय के चिकित्सा अधिकारी या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा प्ररूप संख्या 1 में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) मास्टर श्रेणी 2 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; और मास्टर श्रेणी 2 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में जारी किया जा सकता है।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, अर्थात्:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

और

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिदष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

10. अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.—

(1) मास्टर श्रेणी-3 या सेरांग प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक होगा;

(ख) आयु बीस वर्ष से कम नहीं हो।

(ग) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हो तथा भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत प्राधिकारी पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकारी स्वास्थ्य केंद्रीय के चिकित्सा अधिकारी या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा प्ररूप संख्या 1 में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; और मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार होगी, जिसने समय-समय पर अन्तर्देशीय जलयान पर न्यूनतम 36 माह की सेवा की होगी, दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में जारी किया जाएगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, अर्थात् :-

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

और

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

(3) अन्तर्देशीय जलयानों में सेवारत विद्यमान सेरंगों को सेरंग के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम को करने के लिए अधिकतम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा।

11. इन नियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, विद्यमान लस्कर या डेक कर्मचारियों के लिए अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-3 या सेरांग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं .— (1) इन नियमों के अधिसूचित होने से पूर्व अन्तर्देशीय जलयान में सेवा प्रारंभ करने वाले लस्कर या डेक कर्मचारियों के प्रमाणन के लिए निम्नवत शर्तें लागू होंगी;

(क) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगा।

(ख) हिंदी या अंग्रेजी या राज्य की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होगा।

(ग) निम्नलिखित न्यूनतम सेवा मानदंडों में से किसी एक को पूरा करेगा।

(i) कम से कम 500 जीटी के अन्तर्देशीय जलयानों या समुद्री जहाजों पर चार वर्ष, की सेवा अथवा

(ii) कम से कम 24 मीटर लंबाई के जलयान पर पांच वर्ष, अथवा

(iii) कम से कम 15 मीटर लंबाई के जलयान पर छह वर्ष, अथवा

(iv) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक रक्षा, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी या अन्य अर्धसैनिक बलों के जलयानों पर सेवा की हो।

(घ) को कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो जो सेवा हेल्म्समैन या सहायक मास्टर (डेक) या सीक्यूनी के रूप में हो,

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

12. रेटिंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-3 या सेरांग के प्रमाणन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं.— (1) विद्यमान लस्कर या डेक कर्मचारियों या साधारण प्रयोजन रेटिंग सहित रेटिंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं को निम्नवत न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होगा;

(i) केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ii) राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नेशनल इन्लैंड नेवीगेशन इंस्टीट्यूट, पटना अथवा इसी प्रकार के संस्थान में सफलतापूर्वक जनरल पर्पस रेटिंग पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

(iii) अन्तर्देशीय जलयानों अथवा समुद्री जलयान पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो जो सेवा हेल्म्समैन या सहायक मास्टर (डेक) या सीक्यूनी के रूप में होगी,

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

13. कैडेट प्रशिक्षण रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-3 या सेरांग के प्रमाणन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं.— (1) कैडेट प्रशिक्षण रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं को निम्नवत न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होगा;

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रशिक्षण संस्थान, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है, से अन्तर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(ग) अन्तर्देशीय जलयानों अथवा समुद्री जलयान पर कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, परंतु यह कि कुल सेवा 'ऑनबोर्ड वेसल स्ट्रक्चर्ड प्रशिक्षण प्रोग्राम' के अनुरूप 'अन्तर्देशीय वेसल कैडेट एप्रेंटिसशिप' के रूप में निष्पादित की गई हो, जिसे रिकॉर्ड बुक में सत्यापित किया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या आयोजित किया गया हो, जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है और राज्य के अन्तर्देशीय जलयानों या बंदरगाह में चलने वाले जलयानों पर योग्य मास्टर वर्ग 1या 2या 3 या सेरंग की निगरानी के अधीन कम से कम छह तक सेवा की हो।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

(3) इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र, प्ररूप संख्या 2 में जारी किया जाने वाले सेवा प्रमाण पत्र के समान ही प्रभावी होगा।

14. अभियांत्रिकी विभाग.— (1) 'अन्तर्देशीय इंजीनियर' प्रमाण पत्र, इंजन चालक श्रेणी 1 प्रमाण पत्र, इंजन चालक श्रेणी 2 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, परीक्षक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के अधीन परीक्षा स्थलों पर, ऐसी तारीख को आयोजित की जाएगी जो परीक्षा केंद्रीय द्वारा प्रकाशित की जाएंगी।

(2) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन को इन नियमों में संलग्न प्ररूप 3 के साथ-साथ उनमें उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित भर कर प्रस्तुत किया जाएगा, और ऐसे आवेदन के साथ-साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज, अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण करने लगाने के लिए अपेक्षित हैं; जिन्हें परीक्षा केंद्रीय पर निर्धारित तारीख से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि संबंधित परीक्षा केंद्रों या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।

15. अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.— (1) अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता हेतु प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:-

(क) सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (एसएससी) और इससे अधिक की शैक्षिक सक्षमता के साथ अधिनियम के अधीन इंजन चालक श्रेणी 1 सक्षमता प्रमाण पत्र धारक हो।

(ख) प्रथम श्रेणी इंजन चालक सक्षमता प्राप्त करने के बाद 750 किलोवाट से अधिक प्रणोदन शक्ति वाले जलयानों पर 3 वर्ष की न्यूनतम ऑनबोर्ड सेवा की हो, जिसमें से एक वर्ष के प्रथम श्रेणी इंजन चालक (इंजन कक्ष प्रभारी) के रूप में होगी।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत प्राधिकारी पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्रीय या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) अन्तर्देशीय जलयान इंजीनियर के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, में सफलतापूर्वक भाग लिया हो।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो,अर्थात :—

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, अन्तर्देशीय जलयान इंजीनियर के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश या परिपत्रों के रूप में जारी की जाएगी।

16. अन्तर्देशीय जलयान के इंजन चालक श्रेणी 1 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.— (1) अन्तर्देशीय जलयान के इंजन चालक श्रेणी 1 के प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नवत सक्षमता धारक हो:

(क) अभ्यर्थी के पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के अधीन वैध द्वितीय श्रेणी इंजन चालक, सीओसी होना चाहिए।

(ख) 36 माह की न्यूनतम सेवा की हो जिसमें से 12 माह द्वितीय श्रेणी इंजन चालक के रूप में की होनी चाहिए।

(ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्रीय या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) इंजन चालक वर्ग-1 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, में सफलतापूर्वक भाग लिया हो।

(ङ) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण अथवा महानिदेशक जलयान अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, ,अर्थात :—

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, इंजन चालक वर्ग-1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश अथवा परिपत्रों के रूप यथा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

17. अन्तर्देशीय जलयान के इंजन चालक श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं.—

क) आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

ख) एक माह की अवधि का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा किया हो और वैध पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्रीय या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इन नियमों से संलग्न प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

घ) अन्तर्देशीय जलयानों पर कम से कम 36 माह की सेवा की हो।

ङ) अन्तर्देशीय जलयानों पर सेवारत विद्यमान इंजन चालक श्रेणी 2 को इंजन चालक वर्ग 2 के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिकतम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा ।

18. सेवा का प्रमाण पत्र.— (1) कोई भी अभ्यर्थी जिसने 5 वर्ष की अवधि के लिए तटरक्षक, भारतीय नौसेना या नियमित सेना के किसी जलयान के मास्टर, अथवा इंजीनियर के रूप में सेवा की हो, उसे मास्टर वर्ग 1, मास्टर वर्ग 2, मास्टर वर्ग 3यासेरंग, अन्तर्देशीय इंजीनियर, इंजन चालक वर्ग 1 अथवा इंजन चालक वर्ग 2 के रूप में सेवा का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है, जो सेवा किए गए जलयान के आकार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान के चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों सहित प्रासंगिक प्रारंभिक पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर निर्भर करता है।

(2) जिन अभयर्थियों को उपरोक्त उप-नियम (1) का अनुपालन करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन मौखिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा

परंतु, अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए तटरक्षक, भारतीय नौसेना अथवा नियमित सेना द्वारा जारी किए गए सक्षमता के संगत प्रमाण पत्रों को, विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

19. किसी अन्तर्देशीय जलयान को ' साधारण प्रयोजन रेटिंग' के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं.—

1) 'साधारण प्रयोजन रेटिंग' के रूप में प्रमाणन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नवत सक्षमता धारक होगा:

(क) भारत का नागरिक होगा।

(ख) 18 वर्ष से कम आयु नहीं होगी।

(ग) अन्तर्देशीय जलयान के विद्यमान डैक या इंजन कर्मियों के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा नए प्रवेशार्थियों के मामले में कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीतर्ण की हो;

(घ) वह भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण या अभिहीत प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी या जिला सरकार के सरकार के स्वास्थ्य केंद्रीय या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से इन नियमों से संलग्न प्ररूप संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ङ) यदि नया प्रवेशकर्ता ने 'साधारण प्रयोजन रेटिंग' के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले किसी संस्थान से प्रवेशन प्रशिक्षण पूर्ण करेगा, जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(च) यदि विद्यमान डैक या इंजन कर्मियों; ने किसी अन्तर्देशीय जलयान पर सहायक डैक या इंजन कर्मी के रूप में कम से कम 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हों और डैक संभालने के लिए मास्टर श्रेणी 1 या 2 या 3 अथवा इंजीनियर या इंजन चालक श्रेणी 1या 2 से इंजन चलाने के लिए प्रवीणता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसके अधीन उसने सहायक डैक या इंजन कर्मी के रूप में पिछले छह माह तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है

परंतु विद्यमान डैक या इंजन कर्मियों को ' साधारण प्रयोजन रेटिंग' में संपरिवर्तन के लिए एक अनुमोदित संपरिवर्तन पाठ्यक्रम करना अपेक्षित होगा और इस प्रकार के संपरिवर्तन पाठ्यक्रम को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(छ) भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण अथवा महानिदेशक जलयान अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, अर्थात :-

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, ' साधारण प्रयोजन रेटिंग' में संपरिवर्तन पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम की अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश अथवा परिपत्रों के रूप में जारी की जाएगी।

3) अन्तर्देशीय जलयान पर सेवारत विद्यमान रेटिंग्स या लस्करों को रेटिंग्स या लस्करों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी तथा नए प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा।

20. सक्षम प्राधिकारी को जानकारी प्रदान करना.— राज्य सरकार, संबंधित प्राधिकारी द्वारा तीस दिनों से अनधिक के नियमित अंतराल पर जारी किए गए, प्रदान किए गए, रद्द किए गए या निलंबित किए गए प्रमाणपत्रों संबंधी आंकड़ों और विवरणों के ब्योरे तथा ऐसी अन्य टिप्पणियों के साथ सक्षम प्राधिकारी को जानकारी प्रदान करेगा और अद्यतन करेगी।

अनुसूची

मास्टर के उत्तरदायित्व और प्राधिकार

[नियम 7(3) देखें]

मास्टर पर यात्रा के दौरान जलयान का समग्र उत्तरदायित्व है। कंपनी से सहायता केवल सलाह के रूप में दी जाएगी, अंतिम निर्णय और उत्तरदायित्व मास्टर पर छोड़ दिया जाएगा।

वह जलयान की उचित सुरक्षा और जलयान के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, जिसमें जलयान में मौजूद सभी व्यक्तियों को कार्य सौंपने सहित निम्नवत सम्मिलित हैं:

(1) निगरानी रखना

(2) रखरखाव संबंधी आयोजना तथा अनुवर्ती कार्यवाही

(3) आपातकालीन उपाय तथा अभ्यास

(4) कार्गो प्रचालन; और

(5) जलयान के सुरक्षित संचालन के लिए सभी संगत कार्य।

मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि चालक दल, जलयान और पर्यावरण के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण-रोधी और सुरक्षा उपायों सहित परिणामी दुर्घटनाओं या घटनाओं को कम करने के लिए सभी आपातकालीन प्रक्रियाएं आयोजनाबद्ध की जाएं, और उन्हें उचित आयोजना, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से बनाए रखा जाए।

मास्टर सुनिश्चित करेगा कि सभी जीवनरक्षक और सुरक्षा उपकरणों को हर समय नियमों के अनुसार उचित ढंग से रखा जाए।

मास्टर कंपनी को उन सभी त्रुटियों और अन्य मामलों की जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है जो जलयान के सुरक्षित संचालन को प्रभावित कर सकते हैं अथवा प्रदूषण का खतरा पैदा कर सकते हैं और उनका निराकरण सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने कि सभी जलयानों प्रचालन हेतु उन्हें लागू किया जाए, इस प्रयोजनार्थ कंपनी की सहायता की आवश्यकता होती है।

निम्नवत द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों के अनुसार मास्टर जलयान के लिए उत्तरदायी है:

(1) राष्ट्रीय प्राधिकरणों

(2) राज्य सरकारों या समुद्री बोर्डों

(3) क्लासिफिकेशन सोसाइटियां

और उसे परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

मास्टर हर समय सुरक्षित नौवहन, चालक दल के साथ संबंध, खानपान और कल्याण, बेहतर अनुशासन, चालक दल के प्रदर्शन प्रशिक्षण का मूल्यांकन, परिचितता और काम करने के मनोबल के लिए उत्तरदायी है।

मास्टर, ऑन-बोर्ड पर सभी आवश्यक जानकारियां और संपर्क बनाने के लिए उत्तरदायी है। वह कंपनी, मालिकों के साथ-साथ चार्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि आवश्यक हो तो कंपनी, मालिकों, चार्टर्स और किसी भी तीसरे पक्ष के लिए रिपोर्टिंग लाइन है।

मास्टर जलयान, चेस्ट, उपबंधों, खरीद के नियंत्रण से जुड़े लेखांकन के लिए उत्तरदायी है, और यदि आवश्यक हो तो किसी भी विसंगति की जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

उनके मुख्य कार्यों में से एक खुद को पेशेवर तरीके से अपने को अद्यतन बनाए रखना है, जिससे अनुभव और पेशेवर अद्यतन को बढ़ाने के लिए जलयान के कर्मचारियों को अपना अनुभव प्रदान कर सके।

मास्टर, जलयान से कंपनी या किसी भी तीसरे पक्ष के लिए डेटा की 'फीडबैक लाइन' के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि आगे के विषयों में वर्णित है।

मास्टर सभी अनिवार्य नियमों के अनुसार, अपने जलयान की समुद्री यात्रा करने संबंधी सक्षमता, नौवहन, कार्गो और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। वह सभी दोषों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी है, उनकी जानकारी कंपनी को देने, 'क्लासीफीकेशन सोसाइटी', यदि संगत हो तो, किसी भी तीसरे पक्ष को प्रदान करने और, यदि यह संभव नहीं हो तो, तो उन्हें सीधे 'ऑन-बोर्ड' पर कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। मास्टर जानकारी के साथ 'शोर बेस्ड मेनेजमेंट' हेतु सहायता करेगा।

मास्टर, 'ऑन-बोर्ड' सभी रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए उत्तरदायी है।

प्ररूप संख्या 1

सक्षमता प्रमाण परीक्षा में बैठने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

[नियम 8(1)(ग), 9(1)(ग), 10(1)(ग), 15(1)(ग), 16(1)(ग), 17(ग) और 19(1)(घ) देखें]

(भारतीय अन्तर्देशीय जलयान प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस ' चिकित्सा अधिकारी 'या सरकारी जिला स्वास्थ्य केंद्रीय या नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. आवेदक का नाम:

2. पहचान पत्र का स्वरूप और नंबर

3. पहचान चिह्न (1)

(2)

4(क)	क्या आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार आवेदक दृष्टि के किसी भी दोष से पीड़ित हैं?	हाँ/नहीं
	यदि हां, तो क्या इसे उपयुक्त चश्मे द्वारा ठीक किया गया है?	हाँ/नहीं
(ख)	क्या आपके निर्णय के अनुसार, आवेदक लाल और हरे रंगों को आसानी से पहचान सकता है?	हाँ/नहीं
(ग)	आपकी राय में क्या आवेदक अपनी दृष्टि से दिन के प्रकाश में 25 मीटर की दूरी से फर्क बताने में सक्षम है?	हाँ/नहीं
(घ)	क्या आपकी राय में आवेदक कुछ हद तक बहरेपन से पीड़ित है जिससे उसे साधारण ध्वनि संकेत सुनाई नहीं देगा ?	हाँ/नहीं
(ङ)	क्या आपकी राय में आवेदक रतौंधी से पीड़ित है?	हाँ/नहीं
	अथवा किसी विकृति से पीड़ित है जो उसे एक चालक के रूप में अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करने हेतु संख्याओं को पहचानने में हस्तक्षेप करेगा?	हाँ/नहीं

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से आवेदक की जांच की है..... मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि आवेदक की जांच करते समय मैंने दूर की दृष्टि और सुनने की क्षमता, दोनों हाथ, पैर, सिर, दोनों हाथ के जोड़ों की स्थिति पर विशेषरूप से ध्यान दिया है, और मेरे फैसले का सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है/ ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तंदुरूस्त नहीं है।

आवेदक निम्नलिखित कारणों से लाइसेंस धारण करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है : –

हस्ताक्षर

1. चिकित्सा अधिकारी या प्रेक्टीशनर का नाम और पदनाम

(मुहर)

2. चिकित्सा अधिकारी की रजिस्ट्रीकरण संख्या

तारीख: अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप

टिप्पण: चिकित्सा अधिकारी चिपकाए गए फोटोग्राफ पर इस प्रकार से अपने हस्ताक्षर करेगा कि उसके हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो और और कुछ भाग प्रमाण पत्र पर आए।

प्ररूप संख्या 2

सेवा प्रमाण पत्र

[नियम 13(1) देखें]

संख्या :

नाम :

का पुत्र/पत्नी/पुत्री :

स्थायी पता :

वर्तमान पता :

जन्म तारीख :

ऊँचाई :

पहचान के चिह्न (1)

(2)

फोटो

हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे की छाप

सेना/नौसेना/तटरक्षक बल में आपके सेवा रिकॉर्ड, आपके 'मेडिकल फिटनेस' प्रमाण पत्र और _____के प्रारंभिक मूलभूत पाठ्यक्रम सहित चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के मूल्यांकन के आधार पर, आपको_____अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (सीमाएं यदि कोई हों तो) पर _____ (मास्टर या सेरंग या इंजीनियर या प्रथम श्रेणी इंजन चालक या द्वितीय श्रेणी इंजन चालक) के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विधिवत योग्य पाया है, मैं अन्तर्देशीय जलयान नियम, 2021 के अधीन जारी किए गए नियमों के उपबंधों के अधीन आपको _____अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (सीमाएं यदि कोई हों तो) पर _____(प्रथम श्रेणी मास्टर या द्वितीय श्रेणी मास्टर /सेरंग/इंजीनियर/प्रथम श्रेणी के इंजन चालक/द्वितीय श्रेणी के इंजन चालक/लास्कर) के रूप में सक्षमता प्रमाणत्र प्रदान करता हूं।

तारीख: _____
स्थान: _____

मुख्य परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

प्ररूप संख्या 3

सक्षमता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन प्ररूप

[नियम 7(2) और 14(2) देखें]

किसी अन्तर्देशीय जलयान के इंजीनियर या इंजन चालक/सेरंग या मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

टिप्पण:-आवेदक, परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ सम्यक रूप से भरे गए इस प्ररूप को परीक्षा केंद्रीय में जमा करेगा।

भाग-क

पासपोर्ट आकार की फोटो

व्यक्तिगत विवरण

(1) पूरा नाम :-

(2) उपनाम :-

(3) राष्ट्रीयता :-

(4) स्थायी पता :-

(5) जन्म तारीख :-

(6) जन्म स्थान :-

भाग-ख

पिछले सभी प्रमाण पत्र का विवरण (यदि कोई हों तो)

(1) संख्या :-

(2) सेवा की सक्षमता :-

(3) ग्रेड :-

(4) स्थान जहां जारी किया गया है :-

(5) जारी करने की तारीख :-

(6) क्या प्रमाण पत्र किसी भी समय न्यायालय अथवा प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द कर दिया गया है (यदि हां विवरण दें) .....

.....

भाग-ग

अब जो प्रमाण पत्र अपेक्षित है उसका विवरण

(1) ग्रेड :-

(2) सक्षमता :-

भाग-घ

क्या आप पहले इस परीक्षा में बैठे हैं ? हाँ/नहीं

यदि हां, तो वर्ष और माह का उल्लेख करें।

भाग-ङ

आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा :

टिप्पण: कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता अथवा सेवा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने केप्रयोजन से कोई भी मिथ्या व्यपदेशन करता है अथवा ऐसा करने में सहायता करता है, या सहायक बनता है, वह प्रत्येक अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन छल करने के साथ- साथ जनसेवक को जानबूझकर मिथ्या जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 182 के अधीन दंडित किया जा सकता है।

घोषणा

मैं, यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के भाग क, ख, ग, घ और ङ में अंतर्विष्ट विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और यह कि भाग-छ में उल्लिखित और इस प्ररूप के साथ भेजे गए कागजात सही और वास्तविक दस्तावेज हैं, जो उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए और हस्ताक्षरित हैं, जिनके नाम उन पर मुद्रित हैं, मैं आगे घोषणा करता हूं कि भाग-छ में अंतर्विष्ट विवरण में बिना किसी अपवाद के मेरी पूरी सेवाओं का सही और सत्य विवरण अंतर्विष्ट है।

तारीख: .....

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता .....

.....

<u>भाग-च</u>

परीक्षक का प्रमाण पत्र

उपर्युक्त भाग-ङ में अंतर्विष्ट घोषणा पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे और ..... रुपये का शुल्क प्राप्त किया।

तारीख:

परीक्षक

भाग-छ

प्रशंसा पत्रों की सूची और नदियों अथवा तटों अथवा समुद्र में की गई सेवा का विवरण

1. यदि 'ऑन-बोर्ड' जलयान पर दिया जाता है

(i) प्रशंसापत्रों या प्रमाण पत्रों की संख्या (यदि कोई हों):-

(ii) जलयान का नाम जहां नियोजित किया गया है:-

(iii) उस इंजन की अश्व-शक्ति जिस पर कार्य किया गया था:-

(iv) पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री तथा जलयान की आधिकारिक संख्या:-

2. आवेदक की सेवा विवरण:

(i) क्षमता:-

(ii) नियुक्ति की तारीख

(iii) समाप्ति या छोड़ने की तारीख

(iv) यदि सेवा जारी है तो उल्लेख करें

(v) सेवा की गई कुल अवधि

(क) वर्ष:

(ख) माह:

(ग) दिन:

(vi) की गई कुल सेवा

(vii) तट या नदी पर की गई कुल कुल सेवा

(viii) वह अवधि जिसके लिए अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं : -

(ix) सेवा की गई अवधि जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गए है: -

भाग-ज

परीक्षक का प्रमाण पत्र

टिप्पण: - परीक्षक को भाग-ज और झ भरना चाहिए और इस प्ररूप को प्रशंसा पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य परीक्षक को अग्रेषित करना चाहिए।

1. परीक्षा की तारीख और स्थान

2. नीचे दिए गए प्रत्येक मद के समक्ष उल्लेख करें कि उत्तीर्ण हुए अथवा अनुत्तीर्ण हुए:

(i) लिखित परीक्षा में:

(ii) मौखिक परीक्षा में:

3. रैंक जिसके लिए उत्तीर्ण हुए:

भाग-झ

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

1. लंबाई:

मीटर सेंटीमीटर

2. रंग:

3. व्यक्तिगत निशान या विशिष्टताएं, यदि कोई हों तो,

4. रंग (क) बालों का:-

(ख) नेत्रों का:-

मैं प्रमाणित करता हूं कि भाग-ज और भाग-झ में अंतर्विष्ट ब्योरे सही हैं।

तारीख: .....

स्थान: .....

परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 422(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 was published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways *vide* number G.S.R. 142 (E) dated the 22nd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 22nd February, 2022 and modified thereafter *vide* G.S.R. 316 (E) dated 26th April, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 22nd February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34, section 35, sub-section (1) of section 36, sub-section (3) of section 37, sub-sections (1) and (4) of section 38, section 39, sub-section (2) of section 41 read with clauses (z) to (zg) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title Commencement.— (1) These rules may be called the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the Inland Vessels Act 2021(24 of 2021);

(b) "zone" means any inland water area, as the State Government may, by notification, declare, depending on the following maximum significant wave height criteria, as Zone 1, Zone 2 and Zone 3, for the purpose of these rules -

(i) Zone 1 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 2.0 metres;

(ii) Zone 2 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 1.2 metres; and

(iii) Zone 3 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 0.6 metres.

(c) "gross tonnage of a vessel (GT)" is the gross tonnage calculated as per the International Tonnage Convention-1969; and

(d) "total power of engines kW" means the total power of propulsion engines.

(2)Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Inland vessels.— For the purpose of these rules, inland vessels shall be classified as per the following categories-

(A) The inland vessels, which fall in Category A, are decked vessels of any of the following types-

(a) vessels, other than house boats, which are more than 24 metres in length and house boats of more than 30 metres in length;

(b) vessels which carry more than 50 passengers on board;

(c) all vessels equipped for tow, having a bollard pull capacity exceeding10 tonnes;

(d) vessels designed and built to carry petroleum goods, chemicals or liquefied gases bulk as cargo;

(e) vessels carrying dangerous goods; and

(f) vessels of 300 gross tonnage and above.

(B) Category B - Vessels not covered under Category 'A' or Category 'C'.

(C) Category C - Vessels of less than 10 m in length.

4. Minimum manning.— (1) Every inland vessel shall have minimum manning on-board as specified in sub-rule(3).

(2) The minimum manning applicable to each inland vessel, shall be recorded by the Surveyor in the Certificate of Survey, in accordance with the type and size of the vessel, its operating area, engine capacity and such other factors as may be decided by the Central Government, from time to time.

(3) Every mechanically-propelled inland vessel shall have on board minimum following crew when in operation-

Category A	DECK MANNING		
	GT < 500	500 ≤ GT < 1600	GT ≥ 1600
	a) One master with Inland Master Class 3/ Serang certificate.	**5.** One master with Inland Master Class 2 certificate.	(a) One master with Inland Master Class 1 certificate (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 certificate or One master with Inland Master Class 3 certificate having 2 year experience as Master Class 3 on vessel with> 500 GT.
	ENGINE MANNING		
	kW < 425 propulsion power	Propulsion power: 425 ≤ kW < 750	kW ≥ 750 propulsion power
	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 2 certificate.	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate.	a) One chief engineer with Inland Engineer certificate b) One second engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate or Inland Engine Driver Class 2 certificate with 2 years of experiences.
	RATINGS		
	GT < 500 and kW< 425	GT≥ 500 or kW ≥ 425	
	a) Three general purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking.	a) Four general purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking.	
Category B	DECK MANNING		
	GT < 500	500 ≤ GT < 1600	GT ≥ 1600
	a) One master with Inland Master Class 3 or Serang certificate.	**6.** One master with Inland Master Class 2 certificate.	(a) One master with Inland Master Class 1 certificate. (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 certificate.
	ENGINE MANNING		
	kW < 425 Propulsion power	Propulsion power: 425 ≤ kW < 750	kW ≥ 750 Propulsion power
	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 2 certificate	b) One engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate or One engineer with Inland	(a) One chief engineer with Inland Engineer certificate or One chief engineer with Inland

		Engine Driver class 2 certificate having 2 year experience as Engine Driver class 2 on vessel < 425 KW.	Engine Driver Class 1 certificate with 2 year experience as Engine Driver Class 1 on vessel with ≥ 750 kW. (b) One second engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate or Inland Engine Driver Class 2 certificate with 2 years of experience.
	RATINGS		
	GT < 500	GT≥ 500	
	b) Two general purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking.	Three general purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking.	
Category C: Minimum manning shall be as decided by the Designated Authority			
Note 1: In the case of Serang, Engine Driver Class 2 and GP rating, the requirements specified above may be complied with within 2 years of coming into force of the Rules. **Note 2:** Number of General Purpose ratings may be reduced for vessels of less than 500 GT onshort duration voyages of less than 1 hour,as acceptable to the Designated Authority.			

(4) Every non-mechanically propelled inland vessel defined under sub-clause (ii) of clause (y) of section 3 of the Act of less than 15 metres length shall be manned by minimum one General Purpose Rating and every non-mechanically propelled craft of 15 metres or more in length shall be manned by minimum of two General Purpose Ratings.

(5) Any mechanically propelled inland vessel of total propulsion power not exceeding 425 kW shall be deemed to have complied with the requirements of master and engineer provided that such vessel has, as her master and engineer, a person possessing both certificates of appropriate class.

(6) The Designated Authority may specify minimum manning of higher order than prescribed in sub-rule (3), if other factors like nature of trade of the vessel, length of voyage necessitate such additional manning, in the interest of safety of life, property, environment and the inland waterways.

5. Appointment of examiners and examination centres.— (1) The Chief Examiner appointed under section 36 of the Act, by the respective State Government shall be responsible for the examination and issue of certificate of competency to the persons desirous of obtaining such certificates of competency.

(2) The Chief Examiner shall be assisted by suitable number of Examiners appointed by the respective State Government.

(3)The list of examination centres, norms and standards applicable to such examination centres and the conduct of examinations or assessments shall be specified by the respective State Government by circulars issued from time to time.

(4) Each examination center shall announce its examination schedule for various grades based on the assessment of local needs, ensuring adequate frequency of the examination so that the candidates do not have to wait for more than 6 months to appear in the examination from the date of application.

(5) No person shall be appointed as Chief Examiner unless he fulfils the following qualification and experience-

(a) Possesses a Ministry of Transport Master (Foreign Going) or Marine Engine Operator (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 8 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Director General of Shipping or Ports; or

(b) Possesses a Ministry of Transport First Mate (Foreign Going) or Marine Engine Operator (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 10 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; or

(c) Possesses academic qualification of Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 20 years of service onboard in inland vessels as Certificated Officer of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer.

(d) Possesses a Master [Near Coastal Voyage Vessel (NCV)] or Marine Engine Operator (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel-Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 20 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer.

(e) Possesses qualifications as in (a), (b), (c) or (d) above and experience as a faculty or examiner in an Institute or Department approved by Competent Authority or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department.

Explanation.- The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard or inland vessel experience required under clauses (a), (b), (c) and (d) of this sub-rule.

(6) A Chief Examiner shall discharge the following duties-

(a) supervise overall conduct of examinations for various grades of Certificate of Competency in the State;

(b) supervise overall issuance of various grades of certificates of competency; and

(c) fix the frequency and schedule of examination for various grades of certificate of competency in the State.

(7) No person shall be appointed as an examiner unless he fulfils the following qualification and experience-

(a) Possesses a Ministry of Transport Master (Foreign Going) or Marine Engine Operator (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 5 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; or

(b) Possesses a Ministry of Transport First Mate (Foreign Going) or Marine Engine Operator (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 7 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; or

(c) Possesses academic qualification Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 15 years of service onboard inland vessels as Certificated Officer of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer; or

(d) Possesses a Master [Near Coastal Voyage Vessel (NCV)] or Marine Engine Operator (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel -Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 15 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer; and

(e) Possesses qualifications as in (a), (b), (c) or (d) above and experience as a faculty or examiner in an Institute or Department approved by Competent Authority or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department.

Explanation.- The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard or inland vessel experience required under clauses (a), (b), (c) and (d) of this sub-rule.

(8) An Examiner shall discharge the following duties, namely:-

(a) supervise and conduct examinations for various grades of Certificate of Competency at an examination centre;

(b) issuance of various grades of certificates of competency;

(c) evaluate the persons who have undergone exams and training programmes and to report the list of successful candidates to the Chief Examiner; and

(d) Assist Chief Examiner in the discharge of his duties and responsibilities.

(9) For the purposes of this Rule and sub-section (1) of section 37 of the Act, the respective State Governments may evaluate the report provided by examiners to the Chief Examiner.

6. Issuance of certificate of competency.— (1) No candidate shall be granted a Certificate of Competency under these rules unless he secures minimum marks or aggregate marks, as the case may be, which have decided to be the minimum marks required to declare successful candidates.

(2) The examination for each grade of Certificate of Competency shall comprise of a written and oral examination which shall be based on the syllabus for each grade of examination, as may be decided by the Competent Authority and notified in the form of circulars from time to time.

(3) Sub-rule (2) shall not apply to issuance of Certificate of Service issued under these rules.

(4) A Certificate of Competency may be issued for the following grades, namely:-

(a) Deck Department-

(i) Master Class 1 Certificate;

(ii) Master Class 2;

(iii) Master Class 3 or Serang Certificate.

(b) Engine Department-

(i) Inland Engineer Certificate;

(ii) Engine Driver Class 1;

(iii) Engine Driver Class 2 Certificate.

7. Master and Deck Department.— (1) Examination for the grant of Certificate of Competency as inland vessel Master Class 1, Master Class 2 and Master Class 3 or Serang shall be held by the examiner at the places of examination in the respective State Government on such dates as may be published by the examination centre.

(2) Every application for examination shall be filled and submitted in Form No. 3 appended to these rules together with copies of documents stated therein and such application along with the supporting documents required for ascertaining eligibility of the candidate as per the provisions of rule 9, rule 10, rule 11, rule 13, rule 14 and rule 15 shall be submitted at the examination centre as per the scheduled date as may be declared by the respective examination centres or the Designated Authority, as the case may be.

(3) The general responsibilities and authority of Master of a vessel are indicated in the schedule to these rules.

8. Minimum requirements for certification of Master Class 1 of an inland vessel.— (1) Every candidate for certification as Master Class 1 shall-

(a) hold a valid Certificate of Competency as Master Class 2 of an inland vessel issued under these rules;

(b) have a minimum onboard service of 3 years after 2nd Class Master, out of which one year as 2nd Class Master (in-charge of the vessel) of inland vessels for minimum 12 months in vessels not less than 500 GT;

(c) produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor;

(d) have successfully attended approved Preparatory Course for Master Class 1, which shall be an approved course by the competent authority and the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Master Class 1 shall be as per the training programmes approved by the competent authority and notified form of guidelines or circulars, from time to time;

(e) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by competent authority, namely:-

(i) Elementary First Aid (EFA);

(ii) Proficiency in survival techniques (PST);

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR);

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF); and

(v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD).

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

9. Minimum requirements for certification of Master Class 2 of an inland vessel.— (1) Every candidate for certification as Master Class 2 shall-

(a) be in possession of valid Master Class 3 or Serang Certificate of Competency issued under these rules;

(b) have a minimum service of 36 Months out of which 12 Months shall be as Serang;

(c) shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor;

(d) have successfully attended approved Preparatory Course for Master Class 2, which shall be an approved course by the competent authority and the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Master Class 2 shall be as per the training programmes approved by the competent authority, and notified in the form of guidelines or circulars, from time to time; and

(e) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by competent authority namely:

(i) Elementary First Aid (EFA);

(ii) Proficiency in survival techniques (PST);

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR);

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF); and

(v)Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD).

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

10. Minimum requirements for certification of Master Class 3 or Serang of an inland vessel.— (1) Every candidate for certification as Master Class 3 or Serang shall be;

(a) A Citizen of India;

(b) Not less than twenty one years of age;

(c) Medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor;

(d) have successfully attended approved Preparatory Course for Master Class 3 or Serang, which shall be an approved course by the competent authority and the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Master Class 3 or Serang shall be as per the training programmes approved by the competent authority and notified in the form of guidelines or circulars, from time to time, shall have minimum service of 36 Months on inland vessels; and

(e) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by competent authority namely:-

(i) Elementary First Aid (EFA);

(ii) Proficiency in survival techniques (PST);

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR);

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF); and

(v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD).

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

(3) Existing Serangs serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Serangs and given maximum 2 years of time to undergo new training program.

11. Minimum requirements for certification of Master Class 3 or Serang of an inland vessel for existing Lascars or Deck Hands prior to enactment of these rules.— (1) For the purposes of certification of Lascars or Deck Hands, who have started services in inland vessels before the enactment of these rules, the following conditions shall apply-

(a) shall be 8th class pass from a board recognized by the Central or State Government;

(b) be able to read and write in Hindi or English or Regional Language of the State;

(c) meeting any one of the following minimum service criteria

(i) four years of service on Inland vessels or sea going vessels of not less than 500 GT; or

(ii) five years on vessels of not less than 24 metres in length; or

(iii) six years on vessel not less than 15 metres in length; or

(iv) such candidates who have served on the vessels of Defence, Police, Provincial Armed Constabulary or other Paramilitary forces for 5 years or more; and

(d) performed at least one year of service which shall be as helmsman or an Assistant Master (Deck) or Seacunny.

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

12. Minimum requirements for certification of Master Class 3 or Serang of an inland vessel for new entrants through rating route.— (1) For the purposes of certification of new entrants through rating route, including existing Lascars or Deck Hands or General Purpose Rating they shall meet the following requirements-

(i) passed 10th class examination from board recognised by the Central or State Government;

(ii) successfully completed General Purpose Rating Course at National Inland Navigation Institute, Patna or similar training establishment approved by the State; and

(iii) have minimum three years of services on Inland vessels or sea going vessels out of which one year of the service shall be as Helmsman or as Seacunny.

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

13. Minimum requirements for certification of Master Class 3 or Serang of an inland vessel for new entrants through cadet training route.— (1) For the purposes of certification of new entrants through cadet training route, they shall meet the following requirements-

(a) candidates who have passed class 12th class examination from board recognised by the Central or the State Government;

(b) successfully completed Inland Vessel Cadets Training from any training institute approved by the State Government, which conducts training programmes approved by the Competent Authority; and

(c) shall have two years of services on Inland vessels or sea going vessels provided the total service has been performed as Inland Vessel cadet apprentice with onboard vessel Structured Training Program verified in record book and approved or conducted by the State Government, which conducts the requisite training programmes approved by the Competent Authority and should have performed at least six months watch keeping service under qualified Master Class 1 or Class 2 or Class 3 Serang on board the vessel plying in the port or Inland vessels of the State.

(2) Notwithstanding anything contained in this rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

(3) A certificate of service shall be issued in Form No. 2 appended to these rules shall have the same effect as a certificate of competency granted under these rules.

14. Engineering department.— (1) Examination for the grant of certificate of competency as Inland Engineer Certificate, Engine Driver Class 1 Certificate, Engine Driver Class 2 shall be held by the examiner at the places of examination in the respective State Governments, on such dates as may be published by the examination centre.

(2) Every application for examination shall be filled and submitted in Form No. 3 appended to these rules together with copies of documents stated therein and such application along with the supporting documents required for ascertaining eligibility of the candidate, shall be submitted at the examination centre before the scheduled date as may be declared by the respective examination centres or the designated authority.

15. Minimum requirements for certification of Engineer of an Inland vessel.— (1) Every candidate for certification as Inland Vessel Engineer shall be-

a) in possession of Engine Driver Class 1 Competency Service issued under the Act along with academic qualification or Secondary School Certificate (SSC) and above;

b) there shall be minimum onboard service of 3 years on vessels having propulsion power more than 750 kW, after 1st Class Engine Driver competency out of which one year as 1st Class Engine Driver (Engine room in-charge) of Inland Vessels;

c) shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor;

d) shall have successfully attended approved Preparatory Course for Inland Vessel Engineer, which shall be an approved course by the Competent Authority; and

e) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by the Competent Authority namely:-

(i) Elementary First Aid (EFA);

(ii) Proficiency in survival techniques (PST);

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR);

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF); and

(v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD).

2) For the purpose of this rule, the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Inland Vessel Engineer shall be notified by the Competent Authority in the form of guideline or circulars, from time to time.

16. Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 1 of an inland vessel.— (1) Every candidate for certification as Engine Driver Class 1 shall-

(a) be in possession of valid 2nd Class Engine Driver, Certificate of Competency issued under the Act;

(b) minimum service of 36 Months out of which 12 Months shall be as 2nd Class Engine Driver;

(c) Produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor;

(d) have successfully attended approved Preparatory Course for Engine Driver Class1, which shall be an approved course by the Competent Authority; and

(d) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by Inland Waterways Authority of India or Director General Shipping or State Government namely:-

(i) Elementary First Aid (EFA);

(ii) Proficiency in survival techniques (PST);

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR);

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF); and

(v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD).

(2) For the purpose of this rule, the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Engine Driver Class 1 shall be such as may be specified by the Competent Authority in the form of guideline or circulars, from time to time.

17. Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 2 of an inland vessel.—

a) age should not be less than 21 years;

b) shall have completed preparatory course of 1 month duration and possess a valid Course Completion Certificate;

c) produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor;

d) shall have minimum service of 36 Months on Inland Vessels;

e) existing Engine Driver Class 2 serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Engine Driver Class 2 and given maximum of 2 years time to undergo new training program.

18. Certificate of Service.— (1) A candidate who has served as a master or as an engineer of a vessel of the Indian Coast Guard, Indian Navy or Indian Army for a period of 5 years may be granted a certificate of service as a Master Class 1, Master Class 2, Master Class 3 or Serang, Inland Engineer, Engine Driver Class 1 or Engine Driver Class 2 depending on the size of vessel served and on successful completion of relevant preparatory course including the four basic safety courses from any institute recognised by the Competent Authority.

(2) Candidates who are found to have complied with sub-rule (1) above, shall be exempted from written examination, but shall be required to qualify the oral examination:

Provided that relevant certificates of competence issued by the Indian Coast Guard, Indian Navy or Indian Army submitted by the applicant, shall be verified by the Designated Authority.

19. Minimum requirements to join as General Purpose Rating of an inland vessel.— (1) Every candidate for certification as General Purpose Rating shall-

(a) be a citizen of India;

(b) not be less than 18 years of age; and

(c) have passed minimum 8th class for existing Deck or Engine Hands of inland vessel and passed minimum 10^{th} for new entrants;

(d) produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor.

(e) If new entrant, shall have completed approved induction training for General Purpose Ratings at any institute conducting the respective training courses, which has been approved by the Competent Authority;

(f) If Existing Deck or Engine Hand shall have completed minimum 2 years as assistant Deck or Engine Hand on an Inland Vessel and have obtained a Certificate of Proficiency from a Master Class 1 or Class 2 or Class 3 for Deck Hand or from Engineer or Engine Driver Class 1 or Class 2 for Engine Hand under whom he has completed last six months of training as assistant deck or engine hand.

Provided that, the existing Deck or Engine Hands shall be required to undergo an approved conversion course to General Purpose Rating and such Conversion Course shall be approved course by the Competent Authority.

(g) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by Inland Waterways Authority of India or Director General Shipping or State Government namely:-

a) Elementary First Aid (EFA);

b) Proficiency in survival techniques (PST);

c) Personal safety and social responsibility (PSSR);

d) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF); and

e) Security Training For Seafarers with Designated Security Duties (STSDSD).

2) For the purpose of this rule, the minimum course duration, contents and structure of the conversion course to General Purpose Rating shall be as may be notified by the Competent Authority in the form of guideline or circulars, from time to time.

3) Existing Ratings or Lascars serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Ratings or Lascars and given minimum 2 years of time to undergo new training program.

20. Reporting to Competent Authority.— The State Government shall report and update the Competent Authority with the information on data and details of certificates issued, granted, cancelled or suspended or such other remarks, made by the respective authority at regular intervals of not more than thirty days.

Schedule

MASTER'S RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

[see rule 7 (3)]

The Master has overall responsibility on board the vessel. Assistance from the Company shall be given as advice only, leaving the final decision and responsibility with the Master.

He shall be responsible for proper ship safety and maintenance of the vessel including assigning tasks to all persons on board including-

(1) watch keeping;

(2) maintenance planning and follow-up;

(3) emergency measures and drills;

(4) cargo operations; and

(5) all tasks relevant to safe ship operation.

The Master shall ensure that all emergency procedures are defined and maintained through planning, training and drills in view to minimize the consequences if accidents or incidents should occur, including anti-pollution and safety measures, in the best interest of crew, vessel and environment.

Master shall ensure that all lifesaving and safety equipments are kept in a proper order according to regulations at all times.

The Master shall be responsible to report to the Company about all the defects and other matters which could affect the safe operation of the ship or could present a risk of pollution and which require the assistance of the Company to ensure that they are rectified and implemented on board of all vessels concerned.

The Master is responsible for the vessel in accordance with rules and regulations issued by-

- National authorities;
- State Governments or Maritime Boards; and
- Classification societies.

and has full Authority to take the proper decision according to the circumstances.

The Master is responsible for the safe navigation at all times, crew relation, catering and welfare, good discipline, evaluation of crew performance training, familiarisation and working morale.

The Master is responsible for all necessary reporting and liaisons on board. He represents the Company, the owners as well as the charterers, and is the reporting line to the Company, owners, charterers, and any third party, if required.

The Master is responsible for accounting of the vessel, chest, provisions, control of purchasing, and if necessary to report any discrepancy.

One of his main functions is to keep himself professionally up to date, to provide his experience to the ship's staff in a way to increase experience and professional updating.

The Master is responsible for the feedback line of data from the ship to the company or any third party, as may be required.

The Master is responsible for the seaworthiness, navigation, cargo and maintenance of his vessel, according to all mandatory regulations. He is responsible to identify all defects, to report them to the Company, to the Classification Society, to any third party if relevant, and, if this is not possible, to handle them directly on board. The Master shall assist the shore based management with information.

The Master is responsible for all reporting obligations on board.

FORM No. 1

Medical Certificate for appearing in Certificate of Competency

[see rules 8 (1) (c), 9 (1) (c), 10(1) (c), 15(1) (c), 16 (1) (c), 17 (c) and 19 (1) (d)]

(To be filled in by Inland Waterways Authority of India empanelled MBBS medical practitioner or medical officer of district government health centre or municipality approved doctor.

1. Name of applicant:
2. Type of ID and Number
3. Identification Marks (1)
   (2)

4. (a) Does the applicant to the best of your Judgment suffer from any defect of vision? Yes/No

   If so, has it been corrected by suitable spectacle? Yes/No

   (b) Can the applicant to the best of your judgment readily distinguish the pigmentary colours, red and green? Yes/No

   (c) In your opinion is he able to distinguish with his eyesight At a distance of 25 meters in good day light? Yes/No

   (d) In your opinion does the applicant suffer from a degree of Deafness which would prevent his hearing, the ordinary sound signals? Yes/No

   (e) In the opinion does the applicant suffer from night blindness? Or deformity or lose of number which would interfere with

   The efficient performance of his duties as a driver? Yes/No

   If so, give your reasons in details:

I certify that I have personally examined the applicant …… I also certify that while examining the applicant I have directed special attention to the distant vision and hearing ability the condition of the arms, legs, heads, hand joints of both extremities of the candidate and to the best of my judgment he is medically fit/not fit to hold a driving licence.

The applicant is not medically fit to hold a licence for the following reasons:-

Signature

1. Name and designation of the Medical Officer/Practitioner

   (Seal)

2. Registration Number of Medical Officer

Date: Signature or thumb impression of the Candidate

Note: The Medical Officer shall affix his signature over the Photograph affixed in such a manner that part of his signature is upon the photograph and part on the certificate.

FORM No. 2

Certificate of Service

[see rule 13 (1)]

No. :

Name :

Son/wife/daughter of :

Permanent Address :

Present Address :

Date of Birth :

Height :

Marks of identification (1)

(2)

PHOTO

Signature or Left Thumb Impression

Based on assessment of your service record in Army / Navy/ Coast Guard, your medical fitness certificate and the preparatory course for_____ together with the 4 basic safety course certificates, you have been found duly qualified to fulfil the duties of a_____(Master/Serang/Engineer/First class Engine Driver/Second class Engine Driver) on an Inland mechanically propelled Vessel (limitations, if any), I do hereby under the provisions of the rules issued under Inland Vessels Rules, 2022 grant you the certificate of competency as a_____(First class Master/Second class Master/Serang/Engineer/First class Engine Driver/Second class Engine Driver/ Lascar) on an inland mechanically propelled vessel (limitations, if any).

Date.....

Place.....

Name and signature of Chief Examiner

FORM No. 3

Application Form for appearing in Certificate of Competency

[see rule 7 (2) and 14 (2)]

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS ENGINEER/ ENGINE DRIVER/ SERANG/ MASTER OF AN INLAND VESSEL.

Note:-The applicant shall submit this form duly filled in along with the necessary certificates to the examination centre for permission to appear in the examination.

PART-A

Personal particulars

Passport size photograph of the applicant

(1) Name in full :-

(2) Surname :-

(3) Nationality :-

(4) Permanent Address :-

(5) Date of birth :-

(6) Place of birth :-

PART-B

Particulars of all previous certificates (if any)

(1) Number :-

(2) Competency of service :-

(3) Grade :-

(4) Where issued :-

(5) Date of issue :-

(6) Is the certificate at any time suspended or cancelled by court or authority (if yes, provide details)

…….....

…….

PART-C

Certificate now required

(1) Grade :-

(2) Competency :-

PART-D

HAVE YOU A PPEARED FOR THIS EXAMINATION EARLIER? Yes/No.

If yes, mention year & month.

PART-E

Declaration to be made by applicant:

Note: Any person who makes, procures to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself, or any other person, a certificate either of competency or service, is for each offence liable to be punished for cheating under section 420 of the Indian Penal Code and also for knowingly giving false information to the public servant under section 182 of the Indian Penal Code, 1860.

DECLARATION

I do hereby declare that the particulars contained in Part A, B, C, D and E of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief, and that the papers enumerated in Part-G and sent with this form are true and genuine documents, given and signed by the persons whose names appear on them, I further declare that the statement in

Part-G contains true and correct account of the whole of my services without exception.

Date.....

Signature of the Applicant

Present Address.....

…….....

PART-F

CERTIFICATE OF THE EXAMINER

The declaration under Part-E above was signed in my presence and the fee of Rs..... received.

Date: Examiner

PART-G

LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENT OF SERVICE ON RIVERS OR SHORE OR SEA

1. If served on board vessel
   - (i) No. of testimonials or certificates(if any):-
   - (ii) Name of vessel where employed:-
   - (iii) Horse power of the engine on which worked:-
   - (iv) Port of registry and official no. of the vessel:-
2. Service particulars of the Applicant:
   - (i) Capacity:-
   - (ii) Date of appointment
   - (iii) Date of termination or leaving
   - (iv) State, if continuing
   - (v) Total period served
     - a) Years:
     - b) Months:
     - c) Days:
   - (vi) Total service
   - (vii) Total service on shore or river:
   - (viii) Period served for which certificates are now produced:-
   - (ix) Period served for which no certificates are produced:-

PART-H

CERTIFICATEOFTHEEXAMINER

Note:- The examiner should fill up Part-H and I and forward this form to the Chief Examiner along with the testimonials and other certificates.

1. Date and place of examination
2. Insert passed or failed against each item below:

(i) In written examination:

(ii) In the viva examination:

3. Rank for which passed:

PART-I

PERSONAL DESCRIPTION OF APPLICANT

1. Height:

   Meters Centimeters

2. Complexion:

3. Personal marks or peculiarities, if any,

4. Colour of

(a)Hair:-

(b)Eyes:-

I hereby certify that the particulars contained in Part-H and Part-I are correct.

Date.....

Place.....

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.06.08 12:54:53 +05'30'